(प्रपत्र - 8)

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैम्प कोर्ट) कैम्प .....ठेडी.....

-: आदेश :-

पार्टी के खाता दुरूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....कायमसर..... व भू.अ.नि. .....तिहावली..... की रिपोर्ट पीठासीन रामगढ़ शेखावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू - राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में .....लावण्डा..... तहसील रामगढ़-शेखावाटी व जिला सीकर की जमाबन्दी सम्वत् .....2074-77..... में खाता .....78 नया 74 पुराना..... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैः-

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
लावण्डा	78 नया 74 पुराना	खातेदारान समस्त जाति चमार	खातेदारान समस्त जाति मेघवाल दुरूस्त
रहन व अन्य प्रविष्टि अप्रभावन			

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)

क्रमांक- 1698
दिनांक- 21.5.18

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़-शेखावाटी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।

प्रतिलिपि ..... गुलाब पुत्र मुंदा जाति मेघवाल नि. भाखरवासी को सूचनार्थ।

पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़-शेखावाटी (सीकर)